भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES विलोपित

Rs.5 INDIA विलोपित

(4)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र. क्रं.   /2018–19 निगरानी (निगरानी-0747/2019/ग्वालियर/अ.90)

धनपाल कुशवाह पुत्र श्री कृष्ण कुशवाह आयु–86 वर्ष, व्यवसाय– कृषि, निवासी– ग्राम सौजना, तहसील व जिला ग्वालियर म.प्र. .... निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती चंचल सरीन पत्नी डॉ. देवेन्द्र सरीन
2. श्रीमती पूजा सरीन पत्नी नरेन्द्र कुमार सरीन निवासीगण– ए 297–298, आनंद नगर, ग्वालियर .... गैर निगरानीकर्ता

श्री विजय शुक्ला अभि० द्वारा आज दि. 26-6-19 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-7-19 नियत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 26.6.19 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.05.2019 प्रकरण कमांक 204/2017–18/अपील उनमान धनपाल विरूद्ध चंचल सरीन न्यायालय सपना निगम, अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर

माननीय न्यायालय,

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0747/2019/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-8-2019	आवेदक द्वारा अभिभाषक श्री विजय शुक्ला उपस्थित । उन्हें निगरानी की ग्राह्यता के संबंध में सुना गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के द्वारा प्रकरण क्रमांक 204/17-18/अपील में पारित आदेश दिनांक 1-5-2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । मूल नामांतरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे अस्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अपर आयुक्त ने उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 1-5-2019 को आदेश पारित कर अस्वीकार किया । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) में प्रकाशित हुआ । जिसके तहत संहिता की धारा 50 (2)(ख) के अनुसार द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण का आवेदन पत्र ग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा आवेदन पत्र संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व न किया गया हो । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी दिनांक 26-6-2019 को संशोधन अधिनियम प्रवृत्त होने के बाद प्रस्तुत किया गया है । अतः उक्त संशोधन अधिनियम के आधार पर इस निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाना विधि अनुकूल नहीं । निगरानी याचिका अस्वीकार की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (इकबाल सिंह बैंस) अध्यक्ष 6/8/19	